



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 वैशाख 1945 (श10)
(सं0 पटना 416) पटना, बुधवार, 17 मई 2023

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

17 मई 2023

एस० ओ० 134 दिनांक 17 मई 2023— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम-12, 2017) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 129 दिनांक 09 जून, 2020, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 348, दिनांक 09 जून, 2020 द्वारा प्रकाशित किया था और अधिसूचना संख्या एस० ओ० 115 दिनांक 01 जुलाई, 2021, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 564, दिनांक 01 जुलाई, 2021 द्वारा प्रकाशित किया था तथा अधिसूचना संख्या एस० ओ० 174 दिनांक 29 अगस्त, 2022, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 634, दिनांक 29 अगस्त, 2022 द्वारा प्रकाशित किया था, के आंशिक संशोधन में, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, नीचे विनिर्दिष्ट अवधि से संबंधित, उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन, संदत्त न किए गए या कम संदत्त किए गए कर या गलत प्राप्त या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की वसूली के लिए, आदेश जारी करने की, धारा 73 की उपधारा (10) के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा का विस्तार करते हैं, अर्थात् :-

- वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए, 31 दिसंबर, 2023 तक;
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, 31 मार्च, 2024 तक;
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, 30 जून, 2024 तक।

[[सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड- 12) 1584]]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

17 मई 2023

एस० ओ० 134, दिनांक 17 मई 2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड- 12) 1584)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 17th May 2023

S.O. 134, Dated 17th May 2023— In exercise of the powers conferred by section 168A of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017) (hereinafter referred to as the said Act) and in partial modification of the notifications of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 129, dated the 09th June, 2020, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 348, dated the 09th June, 2020, and notification No. S.O. 115, dated the 01st July, 2021, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 564, dated the 01st July, 2021 and notification No. S.O. 174, dated the 29th August, 2022, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 634, dated the 29th August, 2022 the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby, extends the time limit specified under sub-section (10) of section 73 for issuance of order under sub-section (9) of section 73 of the said Act, for recovery of tax not paid or short paid or of input tax credit wrongly availed or utilised, relating to the period as specified below, namely:—

- (i) for the financial year 2017-18, up to the 31st day of December, 2023;
- (ii) for the financial year 2018-19, up to the 31st day of March, 2024;
- (iii) for the financial year 2019-20, up to the 30th day of June, 2024.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-12)1584)]

By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 416-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>